कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर

क्रमांक :– एफ 37(2)लेखा/बोली आमंत्रण/निर्वाचन/2018/1212 दिनांक : 31.10.2018

–:: सीमित बोली आमंत्रण सूचना संख्या 04/2018–19::–

विधानसभा आम चुनाव 2018 अन्तर्गत कम्प्युटर से सम्बन्धित निम्न सहायक सामग्री को क्रय करने हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से सीमित बोली दिनांक 05.11.2018 दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा
1	स्वीच 8 पोर्ट	20
2	केट–6 केबल	1000 मीटर
3	क्यु आर कोड स्केनर (DATALOGIC Quickscan QD2430/Honeywell Xenon 1900/ iBall 2D-S209/MINDEO MD 6100AT/Unitech MS846)	8
4	माउस (INTERFACE-USB, 3 Button, 2 control button and one scroll, Resolution 1000 DPI)	10
5	यूएसबी की–बोर्ड	10
6	एक्सटेंशन बोर्ड वायर 5 मीटर 1(4) फाईप पिन	30
7	यूपीएस (Minimum Capacity 2000 VA/1000W, Battery Voltage-24 VDC)	5

बोली प्रपत्र एवं शर्ते जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है या राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** अथवा वेबसाईट **http://udaipur.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते है, प्राप्त बोलीयां दिनांक 05.11.2018 को दोपहर 03.00 बजे उपस्थिति बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। डाउनलोड किए गए बिड प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू. 200/– का ड्राफ्ट बिड दाता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर के नाम से बिड के लिफाफे में संलग्न करना होगा। **बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।** बिड प्रपत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। बोली स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

बिड की शर्ते:–

1. आदेश अनुसार निर्धारित समयावधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
2. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।
3. उपरोक्त सामग्री की मात्रा अनुमानित हैं जिसमें कमी अथवा बढोतरी की जा सकती हैं। उपापन संस्था उक्त अंकित किसी भी सामग्री की न्यूनतम मात्रा अथवा कोई सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य नहीं हैं।
4. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम एवं प्रारूप एसआर 14, 15, 16 व 17 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त बिड पर लागू होंगें।

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1- श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर।
2- सदस्य क्रय समिति .... ।
3- नोडल अधिकारी लोक उपापन उदयपुर (उपनिदेशक जिला ई–गर्वनेन्स प्रकोष्ठ, उदयपुर) को दो प्रतियों में भेज कर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही उपापन पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करें तथा अपलोड की कार्यवाही अंकित कर एक प्रति पुनः इस कार्यालय को भिजवाऐं।
4- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) उदयपुर

D:\Vidhansabha 2018\Limited BID\Com. Stationary.docx